

भारत सरकार (GOVERNMENT OF INDIA)
रेल मंत्रालय (MINISTRY OF RAILWAYS)
रेलवे बोर्ड (RAILWAY BOARD)

No.2021/E(LL)/RPwD/6

New Delhi, dated: 26.11.2021

The General Managers, Zonal Railways,
Production Units. Metro Railway, Kolkata,
CORE/Prayagraj, RWP/Bela,
WPO/Patna,
The Director General, RDSO, Lucknow
The Director General, NAIR, Vadodara.
CAO/COFMOW

Sub: Facility of Indian Sign Language Translators in the Conferences/Seminars/Workshops to be organized on Zonal Railways/PUs, PSUs etc.

Please find enclosed herewith a copy of D.O letter No.A-42018/47/2021-NI dated 08.10.2021 received from Dr. Virendra Kumar, Hon'ble Minister of Social Justice and Empowerment addressed to Hon'ble Minister of Railways for providing facility of Indian Sign Language translation in the Conferences/Seminars/Workshops to be organized on Zonal Railways/PU and Railway PSUs, etc.

2. GMs of All Zonal Railways, Production Units and CMDs/equivalents of Railway PSUs and other Railway establishments are requested to take necessary action as per attached letter of the Hon'ble Minister of Social Justice & Empowerment and forward a report in the matter by 15th December, 2021.

mw
26/11/2021
(Praveen Kumar)
Director Estt.(L.L.)
Railway Board

DA: As above.

Copy for information and necessary action to:

1. CMDs/MDs/Equivalent : IRCON, RITES, RVNL,DFCCIL, CONCOR, CRIS,IRCTC, IRFC, KRCL, MRVC, RCIL, Burn Standard, Braithwaite, NHRCL, RLDA
2. Directors of All CTIs (IRICEN, IRIEEN, IRIMEE, IRISSET, IRITM. Zonal Railway Training Institute, Sukadia Circle, Udaipur).

Copy to: PSOs/Sr.PPSs/PPSs/PSs to:

MR, MOSR (J), MOSR(D)
CRB, MF,M/Infra, M/TRS, M/OBD, Secretary/Railway Board,
DG(RHS), DG(RPF), All AMs, PEDs & Executive Directors, Joint Secretaries of Railway Board,
Director (Admn), Director (GA) Railway Board.



सत्यमेव जयते

D.O. No. A-42018/47/2021-NI

कार्यालय: 202, सी विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली-110115

Office : 202, 'C' Wing, Shastri Bhawan,
New Delhi-110115

Tel. : 011-23381001, 23381390, Fax : 011-23381902

E-mail : min-sje@nic.in

दूरभाष: 011-23381001, 23381390, फ़ैक्स: 011-23381902

ई-मेल: min-sje@nic.in

डा. वीरेन्द्र कुमार

DR. VIRENDRA KUMAR

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री

भारत सरकार

MINISTER OF

SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

GOVERNMENT OF INDIA

e-office: 1010839

MR/... A .../2734

Date: 28/10/2021

सितंबर, 2021

8 अक्टूबर

माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी,

सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (RPwD), 2016 को अधिनियमित किया है जो 19.04.2017 से लागू हुआ है। अधिनियम की धारा 42, के अनुसार सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना है कि ऑडियो, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उपलब्ध सभी सामग्री सुलभ प्रारूप में हो और ऑडियो विवरण, सांकेतिक भाषा की व्याख्या और क्लोज कैप्शनिंग के साथ दिव्यांगों का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक पहुंच हो।

2. श्रवण बाधितों के लिए सुगम्यता को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने सितंबर, 2015 में इस मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में एक स्वायत्त निकाय के रूप में भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र (ISLRTC), नई दिल्ली की स्थापना की। केंद्र का मुख्य उद्देश्य भारतीय सांकेतिक भाषा में प्रयोग, शिक्षण और अनुसंधान के लिए जनशक्ति का विकास करना है।

3. संयुक्त राष्ट्र ने 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में घोषित किया है। आईएसएलआरटीसी, नई दिल्ली हर वर्ष सांकेतिक भाषा दिवस मनाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य आम जनता को भारतीय सांकेतिक भाषा के महत्व और श्रवण बाधितों के लिए सूचना और संचार पहुंच के बारे में जागरूक करना है। सांकेतिक भाषा न केवल शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है; बल्कि यह श्रवण बाधितों के लिए रोजगार और व्यावसायिक प्रशिक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

4. श्रवण बाधितों के लाभ के लिए मेरे मंत्रालय द्वारा आयोजित किए जा रहे अधिकांश कार्यक्रमों की भारतीय सांकेतिक भाषा (आईएसएल) में व्याख्या की



-2-


जाती है। 23 सितंबर, 2021 को आयोजित सांकेतिक भाषा दिवस के कार्यक्रम की भी आईएसएल में व्याख्या की गई और मुझे आईएसएल व्याख्या के माध्यम से कुछ श्रवण बाधित पुरस्कृत छात्रों के साथ बातचीत करने का अवसर मिला।

5. मेरा मानना है कि यह श्रवण बाधितों के लिए काफी उपयोगी होगा यदि मंत्रालयों/विभागों द्वारा आयोजित सभी सरकारी बैठकों/संगोष्ठियों/कार्यशालाओं में आईएसएल व्याख्या उपलब्ध कराई जाए। यह सुनिश्चित करेगा कि श्रवण बाधितों को सरकार की सभी योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ प्राप्त हो सके। आईएसएल आरटीसी, नई दिल्ली सरकारी बैठकों / संगोष्ठियों / कार्यशालाओं में आईएसएल दुभाषियों को उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

6. मैं आपका आभारी रहूंगा, यदि आप कृपया अपने मंत्रालय / विभाग के साथ-साथ अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत सभी स्वायत्त निकायों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अधीनस्थ कार्यालयों की सभी सरकारी बैठकों / सेमिनार / कार्यशालाओं में आईएसएल दुभाषियों की व्यवस्था करने के लिए उचित निर्देश जारी करें, ताकि हमारी सरकार के समावेशी दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया जा सके।

सादर,

CRB & CEO



भवदीय

(डॉ. वीरेंद्र कुमार)

श्री अश्विनी वैष्णव जी,
माननीय रेल मंत्री,
भारत सरकार,
रेल भवन, नई दिल्ली।

14/10/21
OSD/MR